

वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2023 को उत्तराखण्ड के परिवहन सचिव अरवि सहि ह्यांकी ने बताया कि प्रदेश के वशिष्ट, अति वशिष्ट महानुभावों और वभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिये सरकारी वाहन खरीदने की नीति 2023 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

प्रमुख बढि

- परिवहन सचिव अरवि सहि ह्यांकी ने बताया कि उत्तराखण्ड के मंत्रियों के लिये अब 35 लाख कीमत तक के ई-वाहन और 25 लाख तक की सामान्य वाहन खरीदे जा सकेंगे। इससे प्रदेश में 31 मार्च से पहले 1500 वाहन खरीदने की राह भी आसान हो गई है।
- परिवहन सचिव ने बताया कि वाहनों की खरीद के नए दामों के अलावा नज्जि वाहन उपयोग करने पर करिया की प्रतपूरत और आउटसोर्स वाहनों के लिये भी करिए की दरों में बढोतरी की गई है।
- नज्जि वाहन की करिया प्रतपूरत में बी श्रेणी के लिये करिए की दर 23 हजार से बढाकर 41,272 रुपए प्रतमिह, सी श्रेणी में 20,000 से बढाकर 38,544 रुपए, डी श्रेणी में 17,000 से बढाकर 33,007 रुपए, ई श्रेणी में 17,000 से बढाकर 27,430 रुपए प्रतमिह की दर तय की गई है।
- करिए पर लिये गए वाहनों के लिये भी बी श्रेणी में करिया 41,100 से बढाकर 48,498 रुपए, सी श्रेणी में 37,740 से बढाकर 44,533 रुपए, डी-ई श्रेणी के लिये 27,000 से बढाकर 31,860 रुपए हो जाएगा।
- वभिन्न श्रेणियों में बढे दाम-
 - श्रेणी ए-** मंत्री, मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के जज, आयोगों के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), डीजीपी, प्रमुख सचिव व समकक्ष- 15 लाख (पुरानी दर), 25 लाख (नई दर), 35 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
 - श्रेणी बी-** सचिव, एचओडी, मंडलायुक्त, आईजी, प्रमुख वन संरक्षक, ज़िला पंचायत अध्यक्ष, नगर नगिम अध्यक्ष व समकक्ष- 12 लाख (पुरानी दर), 20 लाख (नई दर), 25 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
 - श्रेणी सी-** अपर सचिव, अपर वभिगाध्यक्ष, डीआईजी, अपर पीसीसीएफ, डीएम, एसएसपी- 08 लाख (पुरानी दर), 18 लाख (नई दर), 20 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
 - श्रेणी डी-** विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, सीडीओ, मंडल-संभाग स्तर अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष व समकक्ष- 06 लाख (पुरानी दर), 14 लाख (नई दर), 16 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।
 - श्रेणी ई-** नगर पंचायत अध्यक्ष, ज़िला स्तरीय अधिकारी, अन्य अधिकृत अधिकारी जिन्हें वाहन अनुमन्य हो- 06 लाख (पुरानी दर) 10 लाख (नई दर) 12 लाख (ई-वाहन की मूल्य सीमा)।